बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–2–247/2019 687 /पटना, दिनांक :– 12-4-21

श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता को कार्य प्रमंडल, रजौली अंतर्गत एन0एच0–31 से प्राणचक ग्राम पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराने तथा अंततः कराया गया अनुरक्षण कार्य अत्यंत निम्न गुणवत्ता का होने एवं नरहट प्रखंड के खनवा पंचायत अंतर्गत खुशहाल बिगहा ग्राम को नरहट सिरदला मुख्य पथ से जोड़ने वाले संपर्क पथ पर निर्मित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बहाल करने हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत अधिसूचना संख्या–3705 दिनांक 23.12.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1007 दिनांक 02.06.2020 द्वारा श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर श्री राय से द्वितीय बचाव बयान प्राप्त किया गया। श्री राय के द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत कर श्री राय को निलंबन से मुक्त करने एवं प्रमाणित आरोपों के लिये उनके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

3. उक्त के आलोक में श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री राय ग्रामीण कार्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे।

4. श्री राय के निलंबन अवधि का विनियमन श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अंतिम रूप से निष्पादन के बाद किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12.04.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–247/2019 688 /पटना, दिनांक :– 12-4-21

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

12.04.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–247/2019 688 /पटना, दिनांक :– 12-4-21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.04.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–247/2019 688 /पटना, दिनांक :– 12-4-21

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.04.21

उप सचिव